(220)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सिमडेगा, E.mail– eercdsimdega-jhr@nic.in

MOMENTUM JHARKHAND

पत्रांक– 101 (अनु0), सिमडेगा, दिनांक– 09 /02/2017

प्रेषक–

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमंडल, सिमडेगा।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन प्रमण्डल, सिमडेगा/गुमला।

विषय – कोचेडेगा–रामरेखाधाम से छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 7.71 हेक्टेयर वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृत्ति प्राप्त होने के उपरान्त वन क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग – सरकार के उपसचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन का पत्रांक 434, दिनांक 27.01.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवम प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित पथ के निर्माण हेतु सशर्त सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है।

उक्त वार्णित सभी शर्त्तों के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण के तौर पर सहमत हूँ, जो कंडिकावार निम्नलिखित प्रकार से है :–

O/C

वर्णित शर्त्तें	अनुपालन
(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	सहमत हूँ।
(ख) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 7.771 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	NPV की राशि के प्राक्कलन की मांग पत्रांक 82, दिनांक 04.02.2017 द्वारा ~~आपसे~~ की गई है। उक्त राशि विभाग से प्राप्त कर आपको उपलब्ध करवा दी जायेगी।
(ग) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	NPV की दर में संशोधन होने पर बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करने के लिए सहमत हूँ।
(घ) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	पत्रांक 82, दिनांक 04.02.2017 द्वारा CAMPA खाता संख्या उपलब्ध करवाने की मांग आपसे की गई है। विभाग से राशि प्राप्त होते ही उक्त खाता में राशि जमा कर दी जायगी।

(ड) प्रस्तावित वनभूमि में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 314 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा।	सहमत हूँ।
(च) पथ निर्माण के उपरान्त पथ के दोनों किनारों पर, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	सहमत हूँ।
(छ) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	सहमत हूँ।
(ज) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	सहमत हूँ।
(झ) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों कोई धन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सकें।	सहमत हूँ।
(ञ) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	सहमत हूँ।
(ट) अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	सहमत हूँ।
(ठ) सूर्यास्त से सूर्योदय तक समान्यतः वनभूमि पर पथ निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	सहमत हूँ।
(ड) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं की स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	सहमत हूँ।

सैद्धान्तिक सहमति के उक्त सभी वर्णित शर्तों के अनुपालन हेतु सहमत हूँ।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित पथ के वनभूमि पथांश में पथ निर्माण का कार्य करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु0–प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 3/2/17

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमण्डल, सिमडेगा

(218)

ज्ञापांक – 101, सिमडेगा, दिनांक – 09 / 02 / 2017

प्रतिलिपि– सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, राँची को सूचनार्थ एवम आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमण्डल, सिमडेगा

वचनवद्धता प्रमाण पत्र

कोचेडेगा–रामरेखाधाम से छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ के कि.मी. 0.00 से 27.325 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु अपयोजित वन भूमि के एन.पी.वी. क्षतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण, वन पुर्नजनन् एवं अन्य सभी खर्च जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेगें, मांग किये जाने पर तत्परता से जमा कर दिया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमण्डल, सिमडेगा